राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गिरधारी / गोपाल

तारीख हुक्म	378/2015 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/2/22	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र राजीनामा व पत्रावलियो का अवलोकन किया। उभयपक्षों द्वारा राजीनामा के माध्यम से एवं दौराने बहस सहमती जाहिर करते हुये निवेदन किया गया कि पक्षकारान अंधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2019 में मात्र खसरा नम्बर 436/1 में 3 बिस्वा भूमि के दिये गये रास्ते की हद तक अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2019 को संशोधित कर खसरा नम्बर 1861/435, 434, 424/2 में 15 फिट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने में सहमत है एवं इसी परिपेक्ष का राजीनामा मय नक्शा भी न्यायालय के समक्ष पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है अत: तदनुसार निर्णय व डिक्री में संशोधन किया जावे। इस सन्दर्भ में पक्षकारान द्वारा इस न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रस्तुत कर पक्षकारान के राजीनामे अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2019 में संशोधन की ईस्तदुआ चाही। अत: प्रकरण के गुणावगुण पर कोई परीक्षण किये बगैर मात्र पक्षकारान की सहमती/राजीनामा अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2019 में खसरा नम्बर 436/1 की 3 बिस्वा भूमि में कायम किये गये रास्ते के स्थान पर खसरा नम्बर 1861/435, 434, 424/2 में 15 फिट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने का संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को मूल राजीनामा मय नक्शा सलग्न कर प्रेषित किया जाता है की वे प्रार्थना पत्र राजीनामा अनुसार निर्णय व डिक्री दिनांक 26/07/2019 में तदनुसार संशोधन कर तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल को अमल दरामद हेतु आदेश पुन: पारित करे। तदनुसार अपील अपीलार्थी राजीनामा अनुसार निर्णित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10/2/22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 10/2/22 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते